न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व अपील सं0 12/2025 (GCMS 2025/21)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चांदन तहसील व जिला जैसलमेर		1. श्री नेहचलराम पुत्र श्री जोधाराम निवासी ग्राम जेठा हाल चांदन तहसील व जिला जैसलमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर।

उपस्थित :

1. श्री कंवराज सिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहम्मद अली अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री अशोक बारूपाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
4. ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 29.10.2025

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 17.12.1988 ग्राम सगरा तहसील जैसलमेर

अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है– रेस्पोडेन्ट सँख्या 01 नेहचलराम द्वारा अपने आप को भूमिहीन बताकर कृषि भूमि आवंटन हेतु एक आवेदन आवंटन कमेटी के समक्ष दिनांक 15.07.1970 को पेश किया जिस पर आवंटन कमेटी द्वारा उसे भूमिहीन मानते हुए ग्राम जेठा में खसरा नंबर 40 में 25 बीघा बाजरिया भूमि का आवंटन दिनांक 26.08.1970 की आवंटन कमेटी मिटिंग में किया गया, जिसका आवंटन आदेश को क्रमांक/भूअ./1933–35 दिनांक 14.10.1970 उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा जारी किया गया एवं तदोपरान्त उक्त आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि को उक्त स्थान से अन्यत्र अपने नाम दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही कर ग्राम सगरा तहसील जैसलमेर के खसरा नम्बर 154/350 रकबा 75 बीघा अपने नाम से दिनांक 17.12.1988 को जरिये नामांतरण संख्या 102 दर्ज करवायी। रेस्पोडेन्ट द्वारा गैर कानूनी रूप से तथ्य छूपाकर गलत आधारों पर भूमि आवंटन करवाया गया है। वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता था। इसलिए उसके हक में किया गया मूल आवंटन ही निरस्त योग्य है। अधिवक्ता द्वारा अपील में कथन किया गया है कि बमिलावट हल्का पटवारी की रिपोर्ट में उसे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में भूमिहीन व्यक्ति माना है. जबकि वह भूमिहीन की श्रेणी में आवंटन कराने का पात्र नहीं था. बावजूद इसके उसे गलत रूप से भूमिहीन मानते हुए 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जो आवंटन प्रारम्भतः शून्य होने से (ABINITIO VOID) होने से खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट नेहचलराम को वक्त आवंटन अपने पिता जोधाराम के नाम 75 बीघा कृषि भूमि थी, जिसमें रेस्पोडेन्ट नेहचलराम का आधा हिस्सा था, जिससे उसे 37.10 बीघा भूमि पिता की भूमि हिस्से में आती थी। जबकि इस तथ्य को छिपाकर आवेदन किया गया है इस आधार पर भी उक्त तथ्य छिपाकर करवाया गया आवंटन एवं नामान्तकरण खारीज योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित किया गया है कि दिनाँक 26.08.1970 को हुई आवंटन समिति की बैठक में कोरम पूरा नहीं था, एवं रेस्पोडेन्ट को किये गये, आवंटन में संलग्न पटवारी रिपोर्ट में विधायक एवं प्रधान के हस्ताक्षर नहीं है इस प्रकार कोरम पूरा नहीं होने से रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध एवं प्रारम्भ से शुन्य एवं खारिज योग्य है तथा कथित रूप से रेस्पोडेन्ट को आवंटित की गई भूमि पर वास्तविक कब्जा रेस्पोडेन्ट नेहचलराम का नहीं है व अपीलांट

जिला कलक्टर
जैसलमेर

चन्दनसिंह का कब्जा काश्त है, तथा रेस्पोडेन्ट नेहचलराम को कब्जा सुपुर्द करने की रिपोर्ट भी रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य पर ध्यान दिये बगैर दर्ज किया गया नामांतकरण खारिज योग्य है। नेहचलराम द्वारा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर उक्त 25 बीघा आवंटन को रेकर्ड में कूटरचना के जरिये बमिलावट पटवारी 75 बीघा कर दिया गया है. और वर्तमान में नेहचलराम ने 75 बीघा भूमि गांव सगरा में खसरा संख्या 154/350 में रकबा 375 बीघा भूमि दिनाक 15.121980 को अपने नाम से आवंटन के करीब 10 वर्ष बाद रेकर्ड में दर्ज करवाई, जबकि न तो उसे 75 बीघा भूमि आवंटित हुई थी और न ही वह आवंटन ग्राम सगरा के खसरा संख्या 154/350 में हुआ था। इस प्रकार कुटरचना कर गलत आधारों पर उसने 25 बीघा के स्थान पर 75 बीघा भूमि दुसरे गाँव में अपने नाम रेकर्ड में दर्ज करवा ली जो कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, कूटरचना प्रतीत होती है। दिनांक 14.07.1970 को नेहचलराम के पिता जोधाराम पुत्र कालूराम के नाम से सम्वत् 2022 (सन् 1965) में 75 बीघा भूमि वाके ग्राम सगरा के खसरा नंबर 101 में रकबा 28.01 बीघा, खसरा संख्या 133 में रकबा 04.08 बीघा, खसरा संख्या 132/285 में 16.03 बीघा और खसरा संख्या 132/306 में 25.06 बीघा कुल रकबा 75 बीघा भूमि रेकर्ड में दर्ज थी। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि इस प्रकार उक्त 75 बीघा भूमि जो रेस्पोडेन्ट नेहचलराम के पिता जोधाराम के नाम दर्ज थी और उसमें नेहचलराम का हिस्सा था इस रेकर्ड को छिपाकर आवंटन किया गया है आवेदन में रेस्पोडेन्ट नेहचलराम ने अपने पिता के नाम की अपने हिस्से की भूमि को छिपाकर झूठा शपथ पत्र दिया है. जो आवंटन प्रारम्भतः शून्य होने से (ABINITIO VOID) होने से खारिज योग्य तथा रेस्पोडेन्ट नेहचलराम द्वारा अपने पिता की मृत्यु का इंतजार करते हुए अपने नाम से आवंटन भूमि को रेकर्ड में दर्ज नहीं करवाया एवं जब रेस्पोडेन्ट नेहचलराम के पिता जोधाराम की मृत्यु हुई तो रेस्पोडेन्ट नेहचलराम द्वारा अपने हिस्से की 75 बीघा में से आधी भूमि यानि 37.10 बीघा भूमि अपने भाई मोहनराम के नाम से दर्ज करवा दी, वह भूमि भी बिना हकतर्क नामा के बिना पंजीयन के गैर कानूनी रूप से मोहनलाल के नाम दर्ज करवाई जो बिना हकतर्क नामा के गलत रूप से अंतरित की गई है एवं नेहचलराम द्वारा अपने पिता की न तो कोई मृत्यु दिनांक बताई गई व न ही मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया और अपने पिता की मृत्यु एक वर्ष पूर्व होना बताकार अपन पिता जोधाराम के नाम 75 बीघा भूमि का संम्पूर्ण अंतरण अपने भाई मोहनलाल के नाम जरिये नामान्तकरण दर्ज करवा दिया गया जो खारिज योग्य है।

अपीलांट द्वारा अपील के सलग्न धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपील अपीलांट को नामांतकरण दर्ज होने की जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत है साथ ही अपीलांट द्वारा मूल आवंटन को निरस्त करने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि लम्बित है। जिससे भी अपीलांट की अपील अंदर म्याद है पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत कर गांव सगरा तहसील व जिला जैसलमेर के खसरा नम्बर 154/350 रकबा 75 बीघा का नामांतकरण संख्या 102 दिनांक 17.12.1988 जो रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्य छिपाकर नियम विरुद्ध एवं अपीलांट की भूमि पर गलत कब्जा बताते हुए दर्ज किया हुआ को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिनांक 16.07.2025 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा भूमि आवंटन करवाने संबंधित कोई तथ्य नहीं छिपाये गये है। रेस्पोडेण्ड के नाम ग्राम जैठा में कोई कृषि भूमि दर्ज नहीं है तथा रकबा 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। इस आवंटन का न तो रेस्पोडेण्ड द्वारा कब्जाा लिया गया और ना ही आज तक राजस्व अभिलेखो में दर्ज है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ग्राम जेठा से विस्थापित होकर ग्राम चांधन में आवसित हुयें। ग्राम सगरा उस समय ग्राम पंचायत चांधन में था। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा ग्राम चांधन में कृषि भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया था। समरी सेटलमेंट के वक्त ग्राम चांधन के खसरा नं. 78 में कुल रकबा 49584.00 बीधा में से 75.00 बीघा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को सन् 1972 में आवंटित की गई जो कि भू–अभिलेखों में इन्द्राज हो गई। रेस्पोडेण्ट संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

01 के नाम ग्राम सगरा में इस 75 बीघा भूमि के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है। ग्राम सगरा के खसरा नं. 154/350 में रकबा 75 बीघा भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का ही कब्जा है। अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 में प्रार्थना–पत्र न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर में पेश किया गया था। उक्त मुकदमा संख्या 189/85 का निर्णय दिनांक 07.06.1986 को किया जा चुका है। पुनःश्च रेस सबजूडीस का प्रकरण धारा 11 सीपीसी के तहत श्रवण योग्य नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील अपीलांट द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान करने हेतु झूठे व निराधार तथ्यों के आधार पर म्याद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस की गयी। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि उक्त भूमि का रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के द्वारा मिलीभगत कर गलत दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण करवाया गया है, जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने का कथन किया गया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोडेण्ड संख्या 01 के पक्ष में तहसीलदार जैसलमेर के आदेश क्रमांक 2380 दिनांक 15.12.1988 के क्रम में खोला गया है। तहसीलदार, जैसलमेर का उक्त आदेश जिला कलक्टर, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 14(4) राज. भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.1986 के क्रम में पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण में हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में कोई आधार उपलब्ध नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक 29.10.20225 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

(प्रताप सिंह),
जिला कलक्टर,
जैसलमेर